न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 32/2008

अपीलांट

1. श्रीमति तीजोदेवी धर्मपत्नी आदाराम जी, जाति मीणा,
2. बस्तीमल पुत्र नथाजी जाति खारवाली निवासीगण चाणौद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. मांगीलाल उर्फ मांगूनाथ पुत्र मीठूनाथजी, जाति योगी, निवासी चाणौद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
2. तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव अपीलांट की ओर से।
विद्वान अभिभाषक सुमेरसिंह राजपुरोहित रेस्पोडेन्ट संख्या 01
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.09.2019.

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 32/2008 बउनवान मांगीलाल बनाम बस्तीमल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.05.2008 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट मांगीलाल उर्फ मांगूनाथ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि परियोजनार्थ भू आवंटन नियम) के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1545 रकबा 0.57 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर आवंटन खारिज कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1545 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि अपीलांट ने बस्तीमल से दिनांक 01.07.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख के खरीद की है। वक्त खरीद से आदिनांक तक अपीलांट का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरहद मौजा चाणौद तहसील सुमेरपुर के पुराना खसरा नंबर 596 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म सेवज प्रथम भूमि अपीलांट बस्तीमल का राज्य सरकार द्वारा चलाये गये राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 01.02.1983 को आवंटन हुई थी। एवं वक्त आवंटन अपीलांट बस्तीमल को मौके पर भौतिक रूप से आवंटन शुदा भूमि पर बस्तीमल को कब्जा सुपुर्द किया। आवंटन अधिकारी के आदेशानुसार बस्तीमल क नाम नामान्तकरण संख्या 291 दिनांक 14.02.83 को भरा जाकर बस्तीमल को गैर खातेदारी अधिकार का दर्जा दिया गया। बस्तीमल ने नियमानुसार आवंटन की तमाम शर्तो को पूर्ण किया, जिस पर बाद में बस्तीमल को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। बस्तीमल को आवंटन शुदा भूमि दौरान सेटलमेंट के आवंटन हुई थी, जिस कारण हाल सेटलमेंट संवत 2037 के बने नये राजस्व रेकर्ड के हाल खसरा नंबर 1545 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया, वक्त आवंटन से आवंटन शुदा भूमि पर बस्तीमल का कब्जा था। जिस कारण सेटलमेंट के बाद कब्जे के आधार पर खसरा परिवर्तनशील सवंत 2044 व 2045 में बस्तीमल का कब्जा खसरा नंबर 1545 पर दर्शाया हुआ है। इस प्रकार आवंटन से लगाकर हाल सेटलमेंट के बाद आवंटन शुदा भूमि पर बस्तीमल का कब्जा होने से नये राजस्व रेकर्ड में सिवायचक भूमि को बस्तीमल के खातेदारी में दर्ज करते हुए राजस्व मूल रेकर्ड, जमाबंदी सवंत 2056 से 2059 में अपीलांट बस्तीमल को बहैसियत खातेदार के इन्द्राज किया गया। अपीलांट बस्तीमल को भूमि आवंटन होने के 23 वर्षो बाद रेस्पोडेन्ट मांगीलाल उर्फ मांगूनाथ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। हाल सेटलमेंट के बाद बने नये राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी में अपीलांट बस्तीमल का नाम दर्ज होने के पूर्व जब भूमि सिवाय चक थी, उस समय बस्तीमल का नाम खसरा परिवर्तनशील में दर्ज इन्द्राज यह स्पष्ट करता है कि वादग्रस्त भूमि पर बस्तीमल का कब्जा था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा पटवारी हल्का से मिलावट कर तैयार की गई खसरा परितर्वनशील को आधार मानकर जैर अपील आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट बस्तीराम को आवंटन होने के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थ एवं जब किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। तो उन खातेदारी अधिकारो को निरस्त कराने हेतु केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने पंचायत प्रचार अधिकारी सुमेरपुर जो वक्त आवंटन विकास अधिकारी की शक्तियों से निहित था उसको आवंटन कमेटी का सदस्य नहीं मानकर कानूनी भूल की है। राजस्व अभियान के दौरान आवंटन कमेटी ग्राम चाणौद में तारीख 01.02.1983 को रखी गई, जिसमे अपीलांट बस्तीमल के अलावा सैकडो की तादात में आवंटन हुये थे, वक्त आवंटन विकास अधिकारी छुटी होने से उसकी शक्तियां पंचायत प्रचार अधिकार को दी गई, ऐसी स्थिति में पंचायत प्रचार अधिकारी का कार्य विकास अधिकारी की भांति कानूनन माना जाता है। एंव भू आवंटन एवं नियमन सलाहकार समिति का कोरम पूरा था, जिसमे उपखंड अधिकारी के अलावा तीन अन्य सदस्य जिसमे एक प्रतिनिधि सरपंच के तौर पर मौजूद था जिनके हस्ताक्षर आवंटन पत्र पर है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की पर कोई गौर नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया। अपीलांट बस्तीमल ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मांगीलाल के विरूद्ध एक वापत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना तत्कालीन उपखंड अधिकारी महोदय बाली की अदालत में पेशी किया जिस अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र को उपखंड अधिकारी बाली ने दिनांक 16.07.2001 के द्वारा बस्तीमल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया एवं दावे के निर्णय तक अपीलांट के कब्जे मे दखलदांजी नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को पाबंद किया। किन्तु उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है। जिस पर अपीलांट का वक्त खरीद से आदिनांक तक कब्जा काश्त निरन्तर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए 23 वर्षो बाद म्याद बाहर आवेदन पर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट मांगीलाल उर्फ मांगूनाथ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि परियोजनार्थ भू आवंटन नियम) के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1545 रकबा 0.57 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर आवंटन खारिज कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट संख्या 02 को किया गया आवंटन कोरम पूर्ण नहीं होने वैध नहीं था। अपूर्ण कोरम द्वारा उक्त आवंटन किया गया था। नियम 13(3ए) अनुसार आवंटन अधिकारी के अलावा तीन सदस्यो की उपस्थित आवश्यक है, जबकि अपीलांट को वादग्रस्त आराजी के संबध में किये गये आवंटन कमेटी में दो सदस्य सरपंच व तहसीलदार ही थे। प्रसार अधिकारी पंचायत समिति कोरम के सदस्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां तक खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात आवंटन खारिज करने का प्रश्न है तो अगर आवंटन गलत है तो ऐसे आवंटन को खातेदारी अधिकार मिलने के बाद भी निरस्त किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये– (1) 2012(1) आर.आर.टी पेज नंबर 483 (2) 2005 (2) आर.आर.टी पेज नंबर 1399 (3) 1993 आर.आर.डी 652 (4) 2002 आर.आर.डी पेज 1 (HC) (DB) (5) 1998 आर.आर.डी 198 (6) 2017 आर.आर.डी पेज 198 (7) 2009 (1) आर.आर.टी पेज 113 (HC) (8) 2015 (2) आर.आर.टी पेज नंबर 790

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट मांगीलाल उर्फ मांगूनाथ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि परियोजनार्थ भू आवंटन नियम) के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1545 रकबा 0.57 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर आवंटन खारिज कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1545 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि अपीलांट संख्या 01 ने अपीलांट संख्या 02 बस्तीमल से दिनांक 01.07.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख के खरीद की है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा चाणौद तहसील सुमेरपुर के पुराना खसरा नंबर 596 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म सेवज प्रथम भूमि अपीलांट बस्तीमल का राज्य सरकार द्वारा चलाये गये राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 01.02.1983 को आवंटन हुई थी। एवं वक्त आवंटन अपीलांट बस्तीमल को मौके पर भौतिक रूप से आवंटन शुदा भूमि पर बस्तीमल को कब्जा सुपुर्द किया। आवंटन अधिकारी के आदेशानुसार बस्तीमल के नाम नामान्तकरण संख्या 291 दिनांक 14.02.83 को भरा जाकर बस्तीमल को गैर खातेदारी अधिकार का दर्जा दिया गया। बस्तीमल ने नियमानुसार आवंटन की तमाम शर्तो को पूर्ण किया, जिस पर बाद में बस्तीमल को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। बस्तीमल को आवंटन शुदा भूमि दौरान सेटलमेंट के आवंटन हुई थी, जिस कारण हाल सेटलमेंट संवत 2037 के बने नये राजस्व रेकर्ड के हाल खसरा नंबर 1545 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया, वक्त आवंटन से आवंटन शुदा भूमि पर बस्तीमल का कब्जा था। जिस कारण सेटलमेंट के बाद कब्जे के आधार पर खसरा परिवर्तनशील सवंत 2044 व 2045 में बस्तीमल का कब्जा खसरा नंबर 1545 पर दर्शाया हुआ है। इस प्रकार आवंटन से लगाकर हाल सेटलमेंट के बाद आवंटन शुदा भूमि पर बस्तीमल का कब्जा होने से नये राजस्व रेकर्ड में सिवायचक भूमि को बस्तीमल के खातेदारी में दर्ज करते हुए राजस्व मूल रेकर्ड, जमाबंदी सवंत 2056 से 2059 में अपीलांट बस्तीमल को बहैसियत खातेदार के इन्द्राज किया गया। अपीलांट संख्या 02 के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि परियोजनार्थ भू आवंटन नियम) के तहत प्रस्तुत किया एवं प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह लिया है कि अपीलांट संख्या 02 को वादग्रस्त आराजी अपूर्ण कोरम द्वारा आवंटित की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु को आधार मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया। इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.02.83 को बमुकाम चाणौद में राजस्व अभियान के दौरान किये गये आवंटन में 46 व्यक्तियो को कृषि भूमि का आवंटन किया गया था। जिसमे से एक अपीलांट संख्या 02 भी था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट संख्या 02 को किये गये आवंटन को कोरम पूर्ण नहीं होना मानते हुए खारिज किया है। किन्तु अपीलांट के साथ अन्य 45 व्यक्तियों को उक्त कोरम के जरिये भूमि आवंटित की गई थी। जिससे यह स्पष्ट है कि अगर अपीलांट संख्या 02 का आवंटन कोरम अपूर्ण होने से खारिज होता है तो शेष व्यक्तियो के आवंटन को भी विधिसम्मत कहा जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को गौर किये बिना जैर अपील आदेश के जरिये अपीलांट संख्या 02 का आवंटन खारिज किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 32/2008 बउनवान मांगीलाल बनाम बस्तीमल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 19.05.2008 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा चलाये गये राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 01.02.1983 को किये गये आवंटन की विधिसम्मत जांच कर आवंटन नियमो को ध्यान में रखते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली